विलोकन

(28)

श्री

न्यायालय मध्य प्रदेश राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0

प्रकरण कमांक /2014 निगरानी

R-4286-I/14

श्री ... द्वारा आज दि. 26/12/14 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

श्रीमती तुरसाबाई पत्नी रघुवीर चमार आयु– 45वर्ष व्यवास– कृषि निवासी–ग्राम बीलाखेडा तहसील मुंगावली जिला आशोक नगर म.प्र.।

...........प्रार्थनी

बनाम

1. मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला आशोक नगर मध्यप्रदेश।
2. मध्यप्रदेश शासन द्वारा तहसीलदार तहसील मुंगावली जिला आशोक नगर मध्यप्रदेश। ....प्रतिप्रार्थी

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व सहिता1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 29.06.11 व मामले प्रकरण कमांक 08/स्वमेव निगरानी/05–06 व इजलास कलेक्टर जिला आशोक नगर व उनमान म.प्र. शासन बनाम प्रकाशबाई आदि में आदेश पारित।

(U.S. Dhakad Adv.) 26/12/14

श्रीमान जी,

प्रार्थनी की ओर से निगरानी निम्नानुसार पेश है :–

–:प्रकरण के तथ्य:–

1. यह कि, प्रार्थनी को व अन्य 01 लगायत 249 प्रारूप अ एवं 1लगायत 198 प्रारूप ब प्रकरण क.–49अ19/02–03में परित आदेश दिनांक 6.1.2003 के अनुसार ग्राम बिलाखडी के सर्वे कं.–89–203मिन 1, 226/10, 234/01, 261/02,263एवं 268/18/01 कुल रकवा 364.431हैक्टर भूमि बंटन एवं प्ररूप ब इन्ही सर्वे नम्बरान में रकवा 265.697हैक्टर का 198 व्यक्तियो के हित में व्यवस्थापन किया गया प्रार्थी का पुराना अधिपत्य सर्वे कं.–224 पर होने से प्रार्थनी के ससूर ललजुआ पुत्र गोपाला को सर्वे कं.–224/01/'क' का रकवा 1हैक्टर का व्यवस्थापन दिनांक 06.03.2001 के पूर्व से ही था किंतु बाकी सभी व्यक्तियो का व हैसियत सम्पत्ति स्वामी अधिपत्य धारी की हेसियत से राजस्व अभिलेख में नामइन्द्राज दिनांक 06.01.2003 के किये गये थे, और पटट्ा वितारित कर भू–अधिकार पुस्तिकाये जारी की गई, बिना किसी कारण के अनुविभागीय अधिकारी मुगांवली द्वारा नायब तेहसीलदार मुंगावली की कार्यवाही वावत् दिनांक 31.10.05 को प्रतिवेदन कालेक्टर आशोक नगर के समक्ष प्रस्तुत कर शिकायत की गई जिस पर से माननीय कलेकटर महोदय द्वारा स्वप्रेरणा निगरानी के रूप में प्रकरण पंजीवद्ध कर प्रार्थी को बिना सुने बिना सूचना दिये आदेश जेर निगरानी पारित किया, जिससे दुखित होकर निगरानी निम्न आधार पेश है।

(रा.म.) ... अधिवक्ता, ग्वालियर

–:निगरानी के आधार:–

<u>न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर</u>

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :–निगरानी–4286–एक / 2014 जिला–अशोकनगर

श्रीमती तुरसाबाई विरूद्ध म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर व तहसीलदार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
7–08–2019	प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी कलेक्टर, जिला–अशोकनगर के प्रकरण क्रमांक 08 / स्व.निग. / 2005–06 में पारित आदेश दिनांक 29–06–2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27–07–2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25–9–2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 09–09–2019 को ग्वालियर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (जी0के0 जैन) सदस्य	